सत्यमेव जयते

	राजस्थान राजपत्र **विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

आश्विन 09, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 01, *2024*

Asvina 09, Tuesday, Saka 1946- October 01, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2024

संख्या प.5(01)चिस्वा/ग्रुप-3/2023 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त 25 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मूल पद पर राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित कार्मिको की नियमित नियुक्ति होने तक कार्य व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः –

क्रम सं0	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1.	श्री केसरी नन्दन शर्मा	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन
2.	श्री लोकेश शर्मा	वरिष्ठ रेडियोग्राफर
3.	श्री निर्मल कुमार महर्षि	लैब टैक्नीशियन
4.	श्री संदीप कुमार	फार्मासिस्ट
5.	श्री प्रकाश चन्द सैनी	लैब टैक्नीशियन
6.	श्री नरेन्द्र सिंह	लैब टैक्नीशियन
7.	श्री हेमन्त कुमार यादव	रेडियोग्राफर
8.	श्री राजेश कुमार नागर	लैब टैक्नीशियन
9.	श्री रमेश चन्द यादव	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
10.	श्री सुरेश कुमार माली	लैब टैक्नीशियन
11.	श्री महेश कुमार सैनी	फार्मासिस्ट
12.	श्री हनवंत सिंह	फार्मासिस्ट
13.	श्री जगदीश प्रसाद सैनी	फार्मासिस्ट
14.	श्री हेतराम	वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर
15.	श्री गणपत राम जाट	वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर
16.	श्री बाबुलाल	नर्सिंग ऑफिसर
17.	श्री घनश्याम सिंह सोलंकी	वरिष्ठ रेडियोग्राफर
18.	श्री रोशन लाल यादव	तकनीकि सहायक

19.	श्री लालू राम यादव	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन
20.	श्री अशोक कुमार यादव	लैब टैक्नीशियन
21.	श्री श्रवण कुमार वर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर
22.	श्री नितेश गौतम	लैब टैक्नीशियन
23.	श्री किशनाराम कड़वासरा	लैब टैक्नीशियन
24.	श्री नारायण सिंह	लैब टैक्नीशियन
25.	श्री सुरेश चंद्र शर्मा	लैब टैक्नीशियन

उक्त समस्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार/विभाग का होगा अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benefit) के हकदार नहीं होंगे।

2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगती का लाभ देय नहीं होगा।

3. अधिसूचित विभागीय कर्मचारी के विरूद्व कार्य मे लापरवाही/शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे कार्मिको को प्रदत्त खाद्य शक्तिया प्रत्याहरित कर मूल पद कार्यमुक्त कर मूल विभाग मे भिजवा दिया जावेगा।

4. उक्त अधिसूचना दिनांक 09.09.2024 से क्रियाशील/प्रभावी होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रीति माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।